

प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया सहित }

1. जिला— भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, बाडमेर थाना:— सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2022 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या..... 12/22 दिनांक..... 16/1/22
2. (1) अधिनियम पी0सी0एक्ट धारा :—7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018
 (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धाराये:— 120बी
 (3) अधिनियम धाराये :—
 (4) अन्य अधिनियम व धाराये :—
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..... 324 समय..... 4.00 P.M.
 (ब) अपराध के घटने का दिन :— दिनांक 15.01.2022 समय 01.35 पी0एम0
 (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 12.01.2022 समय 10.15 ए0एम0
4. सूचना की किस्म :— लिखित
5. घटनास्थल :—
 (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :— चौकी से बदिशा दक्षिण करीबन 75 किलोमीटर
 (ब) पता :— रा.उ.प्रा.वि.सुथारो का तला के मुख्य द्वार के सामने मुख्य सड़क पर
 (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :—
6. परिवादी / सूचनाकर्ता
 (अ) नाम :— श्री फुसाराम
 (ब) पिता का नाम :— श्री तगाराम
 (स) जन्मतिथि / वर्ष :— उम्र 27 वर्ष
 (द) राष्ट्रीयता :— भारतीय
 (य) पाटपोर्ट संख्या :— जारी होने की तिथि.....
 (र) व्यवसाय :— मजदूरी
 (ल) पता :— निवासी ग्राम दीनगढ़ तहसील धनाऊ जिला बाडमेर।
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :—
 1. श्री पूनमाराम पुत्र श्री आईदानराम जाति जाट निवासी डेलुओ का तला तहसील चौहटन जिला बाडमेर हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत दीनगढ़ प.स. धनाऊ जिला बाडमेर।
 2. श्री कंवराराम पुत्र श्री लालाराम जाति जाट उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम दीनगढ़, पंचायत समिति धनाऊ, जिला बाडमेर मोबाईल नम्बर 8890841174 (प्राईवेट व्यक्ति)
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण:— कोई नहीं।
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां :—
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य :— ट्रेप राशि 3,000 रुपये
11. पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो).....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट

सेवा में,

श्रीमान् एडीशनल साहब जी
ए०सी०बी विभाग,
बाड़मेर

विषय :— ग्राम पंचायत दिनगढ़ के एल०डी०सी० श्री पूनमाराम एवं उसके दलाल श्री कंवराराम को रिश्वत लेते पकड़वाने बाबत।

महोदय,

निवेदन मन् फुसाराम पुत्र श्री तगाराम जाति जाट उम्र 27 वर्ष पैशा खेतीबाड़ी निवासी ग्राम पंचायत दिनगढ़ तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर का इस प्रकार है कि मेरी भाभी श्रीमति अन्नु पत्नि स्व० श्री अणदाराम के नाम से ग्राम पंचायत दिनगढ़ में पानी का टांका का स्वीकृत हुआ है। मेरे भाई का स्वर्गवास वर्ष 2012 को हो गया था एवं उसके बाद मेरी भाभी मेरे परिवार के साथ ही निवास करती है एवं उनके आवश्यक घरेलू कार्य मैं ही करता हूँ। मेरे गांव के एल०डी०सी० श्री पूनमाराम ने मुझे दिनांक 26.12.2021 को जरिये वाट्सअॅप काल किया, किन्तु मेरे द्वारा उक्त कॉल अटैण्ड नहीं किया गया एवं तत्पश्चात मैंने समय 3.41 मीनट पर मेरे मोबाईल नम्बर 9672084203 से उनके नम्बर 9462159038 पर कॉल किया तो उसने कहा कि तेरी भाभी के टांके के मस्टरोलो नाम व हाजरी चढ़वानी है तो मुझे 10,000रुपये देने होंगे, नहीं तो मस्टरोल मे हाजरी कम कर दूंगा, जिस पर मैंने उनसे कुछ कम करने का कहा तो उन्होंने कहा कि इसमें कम नहीं करूंगा, आप अब मेरे से बात मत करना एवं उक्त रुपये श्री कंवराराम सरपंच के ट्रेक्टर ड्राईवर को दे देना। मैं मेरी भाभी के जायज कार्य करने की एवज मैं श्री पूनमाराम एल०डी०सी० एवं श्री कंवराराम दलाल को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ उनको रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ। मेरी या मेरी भाभी का किसी प्रकार का कोई लेन-देन उन दोनों से बाकी नहीं है। मेरी भाभी ने भी उन दोनों के खिलाफ एसीबी की कार्यवाही करवाने के लिए मुझे कहा है।

अतः श्रीमान महोदय से निवेदन है कि उक्त दोनों भ्रष्ट व्यक्तियों को रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ने की कार्यवाही करने की कृपा करावें।

भवदीय,

एसडी

(फुसाराम)

निवासी दिनगढ़ जिला बाड़मेर
मोबाईल नम्बर 9672084203

श्री चम्पालाल हैड कानि. द्वारा परिवादी से दीनगढ़ मे प्राप्त प्रार्थना पत्र पेश किया जिसको बाद अवलोकन शामिल रनिंग नोट किया गया। एसडी— रामनिवास 12.01.2022

एसडी	एसडी	एसडी	एसडी
नवल प्रकाश मीणा	विजय कुमार	फुसाराम	मुकनदान
15.01.2022	15.01.2022	15.01.2022	15.01.2022

कार्यवाही पुलिस दिनांक 12.01.2022 वक्त 10.15 ए०एम०

इस समय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर एक व्यक्ति के मोबाईल नम्बर 9672084203 से कॉल आया एवं मोबाईल पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से वार्ता करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम फुसाराम पुत्र श्री तगाराम जाति जाट निवासी ग्राम पंचायत दिनगढ़ तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर का निवासी होना बताया एवं बताया कि मैंने आपके मोबाईल नम्बर एसीबी के टोल फ़ी नम्बर 1064 से लिये थे। मेरी भाभी श्रीमति अन्नु जिसके नाम से ग्राम पंचायत में मनरेगा का टांका स्वीकृत हुआ है, उसमें मस्टरोलो में नाम व हाजरी चढ़ाने की एवज में हमारे गांव का एल०डी०सी० श्री पूनमाराम अपने दलाल के मार्फत मेरे से 10,000रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है, वह मेरे से वाट्सअॅप पर ही कॉल करता है, चूंकि मेरे भाई का स्वर्गवास हो चुका होने से मेरी भाभी मेरे परिवार के साथ ही निवास करती है, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं एवं मेरी भाभी के घरेलू आवश्यक काम भी मैं ही देखता हूँ। मैं व मेरी भाभी श्री पूनमाराम व उसके दलाल कंवराराम को रिश्वत नहीं देकर उनको रंगे हाथो पकड़वाना चाहते हैं। मैं बाड़मेर आने में असमर्थ हूँ, किन्तु उनके खिलाफ कार्यवाही करवाना चाहता हूँ। परिवादी श्री फुसाराम से आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि की मांग करना प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि

मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर परिवादी श्री फुसाराम को हिदायत हुई की मैं अभी कुछ समय बाद एक अन्य मोबाइल नम्बर से वार्ता करता हूँ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय में उपस्थित श्री चम्पालाल कानिंहा को तलब कर परिवादी श्री फुसाराम से जरिये मोबाइल हुई वार्ता के सम्बंध में हालात बताये एवं रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाये जाने के लिए परिवादी के गांव दिनगढ़ जाने के सम्बंध में बताया। तत्पश्चात् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री चम्पालाल हैड़ कानिंहा के मोबाइल नम्बर 9414341400 से परिवादी के मोबाइल पर कॉल कर बताया कि मैं जिस नम्बर से आपको कॉल कर रहा हूँ यह चम्पालाल हैड़ कानिंहा के नम्बर है, जो आपके पास आरोपीगण से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाने हेतु उपस्थित आयेगा, आप सर्वप्रथम आरोपीगण द्वारा आपसे रिश्वत राशि की मांग करने से सम्बंधित प्रार्थना पत्र इनको सुपूर्द कर श्री पूनमाराम एवं श्री कंवराराम से रिश्वती राशि मांग वार्ता कर उक्त वार्ता को एसीबी के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर श्री चम्पालाल कानिंहा को सुपूर्द करे, जिस पर परिवादी ने बताया कि श्री पूनमाराम अब मेरे से वार्ता नहीं करेंगा, क्योंकि उसने मुझे कहा है कि आप अब कंवराराम से बात कर उसको 10000रुपये रिश्वत राशि दे देना, जिस पर परिवादी की वार्ता अनुसार श्री कंवराराम से रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया जाकर परिवादी को गांव दिनगढ़ में ही उपस्थित रहने की हिदायत की गई। श्री चम्पालाल हैड़ कानिंहा को परिवादी श्री फुसाराम के मोबाइल नम्बर दिये जाकर हिदायत दी की आप गांव दिनगढ़ तहसील धनाउ जाकर श्री फुसाराम से मिले एवं परिवादी श्री फुसाराम से लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य करने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहे आरोपी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्राप्त कर श्री फुसाराम को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर को चलाने की समझाईस कर उसके साथ जाकर रिश्वती राशि मांग के सम्बंध में परिवादी एवं आरोपी के मध्य वार्ता करवाकर डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की कार्यवाही कर कार्यालय में उपस्थित आवें। श्री चम्पालाल हैड़ कानिंहा को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर सुपूर्द कर आवश्यक हिदायत के रवाना किया गया। रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु गये हुए श्री चम्पालाल हैड़ कानिंहा ने ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होकर परिवादी श्री फुसाराम द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं बंद हालात में डिजिटल टेप रिकार्डर प्रस्तुत कर बताया कि ब्यूरो चौकी से रवाना होकर गांव दिनगढ़ पहुच परिवादी श्री फुसाराम से उनके मोबाइल नम्बर पर वार्ता की, जिस पर परिवादी दिनगढ़ स्थित विद्यालय से बाहर आया एवं मुझे एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं बताया कि श्री कंवराराम अभी हॉस्पीटल परिसर में सीमेन्ट के कट्टे ट्रेक्टर में भर रहा है, वह मेरे से रिश्वत की मांग वही पर कर लेगा, जिस पर मैं एवं परिवादी दिनगढ़ स्थित सरकारी हॉस्पीटल के पास पहुचे एवं मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर ऑपरेट करने की परिवादी को समझाईश कर चालू कर परिवादी को सुपूर्द कर रिश्वती राशि मांग की वार्ता करने हेतु रवाना किया। मैं हॉस्पीटल के बाहर ही परिवादी के इंतजार में मुकीम हुआ। परिवादी मेरे पास से हॉस्पीटल परिसर में चला गया एवं करीबन 15 मीनट बाद मैं मेरे पास उपस्थित आया एवं डिजिटल टेप रिकार्डर मुझे सुपूर्द किया, जिसे मेरे द्वारा स्वीच ऑफ कर सुरक्षित स्वयं के कब्जे में लिया एवं परिवादी ने बताया कि श्री कंवराराम मुझे हॉस्पीटल परिसर में मिला, जिस पर मैंने उसे मेरी भाभी के नाम नरेगा टांके में मस्ट्रोल में हाजरी व नाम चढ़ाने के सम्बंध में कंवराराम को ग्रामसेवक से बात कर कितने देने हैं का पूछने का कहा तो उसने कहा कि आपने पहले कितने दिये, जिस पर मैंने कहा कि उन्होंने आपसे बात करने का कहा है, जिस पर उसने दो हजार रुपये मांगे एवं बोला की दस से कम वह मानेगा नहीं, जिस पर मैंने उसे सात-आठ हजार रुपये तक का बोलने का कहा। फिर उसने अभी मेरे से पॉच हजार मांगे एवं बताया कि अभी तक पेमेन्ट कितना आया, जिस पर मैंने दो हपते ही चढ़ाने का बताया, जिस पर उसने मुझे कहा कि पॉच अभी दे दो, पॉच बाद में अस्सी हजार से उपर पेमेन्ट चढ़ाने पर दे देना, बाद में पॉच की जगह आप चार दे देना, मैं कह दूंगा एक हजार कम दिये हैं कोई बात नहीं है, जिस पर मैंने उसे उसी समय दो हजार रुपये दे दिये एवं मैंने कहा कि मैं पन्द्रह तारीख तक तीन हजार और दे दूंगा, आप श्री पूनमाराम से बात करके मेरा पेमेन्ट चढ़ावा देना। उक्त वार्ता मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की गई है। परिवादी श्री फुसाराम ने बताया कि मैं 14 तारीख को आपके अफसर से बात कर लूंगा एवं 15 तारीख को उपस्थित हो जाऊंगा, जिस पर मैंने उसे 14 तारीख को श्रीमान् से जरिये मोबाइल वार्ता कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 3000रुपये की व्यवस्था कर एसीबी चौकी पर उपस्थित होने की एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर उक्त स्थान से रवाना होकर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आया हूँ, जिस पर श्री चम्पालाल हैड़ कानिंहा द्वारा प्रस्तुत परिवादी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया एवं डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑन कर सुनने पर श्री चम्पालाल हैड़ कानिंहा द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई एवं परिवादी के जायज कार्य को करने की एवज में श्री कंवराराम दलाल द्वारा रिश्वत मांगना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं की अलमारी में सुरक्षित रखा। आईन्दा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब किये जाने का निर्णय लिया गया एवं अग्रिम कार्यवाही दिनांक 15 जनवरी 2022 को परिवादी की वार्ता अनुसार करने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14.01.2022 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आवश्यक राजकार्य से जोधपुर गये हुए, ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आये। दर्ज रहे कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जोधपुर में समय करीबन 1.20 पी०एम० पर कॉल कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोपीगण द्वारा रिश्वत में मांगी गई रिश्वत राशि 3000रुपये की व्यवस्था कर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने बाबत वार्ता की गई तो परिवादी ने बताया कि मैं आज सायं को ही आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर बाड़मेर पहुच जाऊंगा एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी चौकी में 15 जनवरी को 8.30 ए०एम० तक उपस्थित हो जाऊंगा। परिवादी को गोपनीयता बरतने की पुनः हिदायत दी। परिवादी से हुई वार्ता अनुसार रिश्वती राशि लेन-देन कल दिनांक 15 जनवरी शनिवार को नियत होने एवं राजकीय अवकाश होने से स्वतंत्र गवाह बाबत जरिये मोबाईल श्री ठाकराराम को हिदायत हुई की जोधपुर डिस्कॉम बाड़मेर से दो स्वतंत्र गवाहो को जरिये तेहरीर पाबंध कर उन्हें कल दिनांक 15 जनवरी को प्रातः 8.30 ए०एम० पर उपस्थित होने हेतु पाबंध करे। श्री ठाकराराम कानिं० द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को चौकी हाजा की तेहरीर क्रमांक 90 दिनांक 14.01.22 प्रस्तुत कर बताया कि श्री नवीन कुमार एवं श्री विजय कुमार को पाबंध कर उपस्थित आया हूँ। उक्त तेहरीर को शामिल पत्रावली किया गया। ब्यूरो चौकी बाड़मेर में स्थित स्टाफ को भी कल प्रातः 8.00 ए०एम० पर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने बाबत पाबंध किया गया।

दिनांक 15.01.2022 को पूर्व से पाबंध सुदा परिवादी श्री फुसाराम ब्यूरो चौकी बाड़मेर पर उपस्थित हुआ, जिसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर उसका परिचय पूछने पर उसने अपना परिचय श्री फुसाराम होना बताया एवं बताया कि मेरे द्वारा टोल फ़ी नम्बर से आपके नम्बर प्राप्त आपसे वार्ता कर श्री पूनमाराम एवं उसके दलाल द्वारा रिश्वत मांगने पर कार्यवाही करवाने का कहा था, जिस पर आपके द्वारा श्री चम्पालाल हैड़ कानिं० को मेरे गांव भेजा था, जहाँ मैंने एक प्रार्थना पत्र श्री चम्पालाल हैड़ कानिं० को सुपूर्द किया था एवं श्री कंवराराम दलाल द्वारा श्री पूनमाराम के लिए रिश्वत मांगने की वार्ता को एसीबी के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करवाई थी, जिसमें श्री कंवराराम ने श्री पूनमाराम एल०डी०सी० के लिए मेरी भाभी के मनरेगा टांके में मस्टरोल में नाम व हजारी चढ़ाने की एवज में रिश्वत की मांग कर 2000रुपये उसी समय रिश्वत ले ली एवं तीन हजार रुपये दिनांक 15 जनवरी तक देने की वार्ता की एवं पॉच हजार रुपये की रिश्वत उक्त टांके में अस्सी हजार रुपये का पेमेन्ट आने के बाद देने की वार्ता की। ताबाद पूर्व पाबंध सुदा दोनों स्वतंत्र गवाह श्री नवीन प्रकाश मीणा पुत्र श्री ओमप्रकाश मीणा जाति मीणा उम्र 30 वर्ष पैशा नौकरी निवासी ग्राम पोस्ट डेहरिया तहसील नादोती पुलिस थाना नादोती जिला करौली हाल सूचना सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम बाड़मेर मोबाईल नम्बर 6377128637, 8058535304 एवं श्री विजय कुमार पुत्र श्री हरिशचन्द्र जाति जीनगर उम्र 37 वर्ष पैशा नौकरी निवासी मकान नम्बर ए५-५२, महावीर नगर बाड़मेर हाल तकनीकी सहायक कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9413943434 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुए। ब्यूरो चौकी पर उपस्थित श्री मुकनदान निरीक्षक पुलिस को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष में तलब किया गया एवं पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री फुसाराम को दोनों गवाहान से परस्पर परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनों गवाहान को पढ़ाया गया। दोनों गवाहान ने भी परिवादी से उक्त शिकायत के तथ्यों के सम्बंध में वार्ता कर पूर्ण तस्सली की। तत्पश्चात रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकार्डर चालू कर परिवादी की उपस्थिति में दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी की रिपोर्ट एवं वार्तालाप में सत्यापन से संबंधित अंशों को सुनने के पश्चात अपने स्तर पर दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति प्रदान की। परिवादी श्री फुसाराम के भी दोनों गवाहान की उपस्थिति में पुनः उसके प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री मुकनदान निरीक्षक पुलिस से परिवादी श्री फुसाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं परिवादी श्री फुसाराम एवं आरोपी श्री कंवराराम दलाल के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है को श्री मुकनदान निरीक्षक पुलिस को सुपूर्द कर अब तक की गई कार्यवाही एवं सत्यापन हालात से अवगत करवाया जाकर परिवादी का मूल प्रार्थना पत्र, रनिंग नोट एवं सम्बंधित पत्रादि सुपूर्द कर अग्रिम ट्रैप कार्यवाही स्वयं के निर्देशन में करने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर मन् मुकनदान निरीक्षक पुलिस ने श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय हाजा के आदेशानुसार परिवादी श्री फुसाराम, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री नवीन कुमार एवं श्री विजय कुमार को स्वयं के साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुआ एवं परिवादी श्री फुसाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात व अब तक हुई कार्यवाही का अवलोकन किया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा भी परिवादी के प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात ट्रैप कार्यवाही में रिश्वती राशि मांग-सत्यापन रुबरु वार्तालाप दिनांक 12.01.2022 बीच परिवादी एवं श्री कंवराराम दलाल जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रुबरु मौतविरान एवं परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द

ट्रांस्क्रिप्ट मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीड़ीयों श्री बांकाराम कानिंग से तैयार करवाई जाकर एक सी०डी० को मूल मानते हुये कपड़ों की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। आरोपी श्री कंवराराम की आवाज एवं स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की गई। मूर्तिब सुदा सीड़ीयों श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानिंग को सुपूर्द कर जमा मालखाना करवाई गई।

तत्पश्चात् दोनों गवाहान के रूबरू परिवादी फुसाराम पुत्र श्री तगाराम जाति जाट निवासी ग्राम पंचायत दिनगढ़ तहसील धनाउ जिला बाड़मेर को आरोपी श्री कंवराराम दलाल को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा गया, तो परिवादी श्री फुसाराम ने दो हजार रुपये का एक नोट एवं पाँच सौ रुपयों के दो नोट, कुल 3,000रुपये अपने पास से निकाल कर पेश किये जिनके नम्बर फर्द मे अंकित किये गये जाकर कार्यालय हाजा के मालखाना को श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानिंग से खुलवाया जाकर फिनोफथलीन पाउडर की शिशि मंगवाई जाकर श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानिंग से उक्त 3,000 रु के सभी नोटों को एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानिंग से लगवाया गया। परिवादी श्री फुसाराम की जामा तलाशी गवाह श्री नवीन प्रकाश मीणा से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त नोटों को परिवादी श्री फुसाराम के पहने हुए पायजामा की दाहिनी जेब में श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानिंग से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री फुसाराम को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को नहीं छुए आरोपी श्री कंवराराम दलाल के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर उसे देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। साथ ही परिवादी श्री फुसाराम को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता है, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर हाथ फैर कर या मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर या ब्यूरो के किसी अन्य स्टाफ के मोबाईल पर मिसकॉल/कॉल करके गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात् एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानिंग के हाथों की अंगुलियों एवं अगुठों को ढुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गहरा गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की किया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवा कर उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था। फिनोफथलीन पाउडर की शिशि को श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानिंग से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी जाकर मालखाना के ताला लगवाया गया तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में लेने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया गया, फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् निरीक्षक पुलिस, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानिंग को कार्यालय हाजा में वास्ते निगरानी पीछे छोड़ने का निर्णय लिया जाकर फर्द हाजा मूर्तिब की जाकर सम्बन्धित को पढ़कर सुनाई गई। सुन-समझ सही होना मान कर सम्बन्धित ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानिंग को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय हाजा में छोड़ा जाकर मन् निरीक्षक पुलिस, हमराह स्वतन्त्र गवाहान श्री नवीन प्रकाश मीणा व श्री विजयकुमार परिवादी श्री फुसाराम तथा ब्यूरो जाल्ता श्री ठाकराराम कानिंग, श्री मिश्रीमल कानिंग, श्री सुराबखां कानिंग, श्री बांकाराम कानिंग, श्री अनुपसिंह कानिंग नं० 397, श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक के सरकारी बोलेरो वाहन मय चालक श्री महिपालसिंह एवं निजी कार, सरकारी मोटरसाईकल मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री तथा डिजीटल टेप रिकॉर्डर के ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी बाड़मेर से परिवादी के कहे अनुसार गांव दिनगढ़ को रवाना सुदा मन् निरीक्षक पुलिस एवं हमराहियान के गांव दिनगढ़ के बाहर पहुंचे, परिवादी श्री फुसाराम को रिश्वती राशि लेन-देन की कार्यवाही हेतु ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर ऑन सुपूर्द कर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारे की हिदायत कर पंचायत भवन की तरफ रवाना

किया एवं पीछे-पीछे श्री बांकाराम कानिं⁰ को भी रवाना किया। मन् निरीक्षक पुलिस एवं हमराहियान के गांव के बाहर मुख्य सड़क पर मुकीम हुए। कुछ समय बाद परिवादी बिना कोई ईशारा किये मन् निरीक्षक पुलिस के पास आया एवं डिजिटल टेप रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपूर्द किया, जिसे मन् निरीक्षक पुलिस ने स्वीच ऑफ कर कब्जा लिया एवं परिवादी से पूछने पर बताया कि श्री कंवराराम यहा पर उपस्थित नहीं है, पास ही स्थित ग्रामीणों से पूछने पर सुथारो का तला की तरफ जाना बताया, जिस पर परिवादी ने कहा कि मैं उससे बात कर वह जहाँ पर है वहा जाकर रिश्वती राशि लेन-देन कर दूंगा। वह मेरे से रिश्वत की राशि प्राप्त कर लेगा, जिस पर परिवादी के मोबाईल से आरोपी श्री कंवराराम के मोबाईल पर वार्ता करवाने का निर्णय लिया जाकर परिवादी श्री फुसाराम के मोबाईल नम्बर 9672084203 से आरोपी श्री कंवराराम के मोबाईल नम्बर 8890841174 पर वार्ता करवाई तो आरोपी श्री कंवराराम ने सुथारो का तला बजरी का ट्रेक्टर डालने गया हुआ हूँ जिस पर परिवादी ने कहा कि सुथारो की ढाणी पास ही करीबन 3 किलोमीटर है, कंवराराम मेरे से वहाँ रिश्वत की राशि ले लेगा, जिस पर परिवादी को साथ लेकर सुथारो की ढाणी की तरफ रवाना हुए। उक्त वार्ता आरोपी की उपस्थिति ज्ञात करने बाबत करवाई जाने से रिकार्ड नहीं की गई। तत्पश्चात सुथारो का तला में स्कूल से पहले पहुंच परिवादी श्री फुसाराम को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर ऑन कर सुपूर्द कर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा बताकर आरोपी श्री कंवराराम से रिश्वती राशि का लेन-देन हेतु रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय शेष हमराहियान के परिवादी के पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारे में मुकीम रहा। कुछ समय बाद मौतबिरान के रुबरु परिवादी श्री फुसाराम ने मुख्य सड़क पर आकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर हाथ फैर कर किया, जिसे मन् निरीक्षक पुलिस, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप दल ने देखा जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो दल के परिवादी श्री फुसाराम के पास पहुंच परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर श्री बांकाराम कानिं⁰ से स्वीच ऑफ करवाकर कब्जे में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी ने बताया कि श्री कंवराराम ने मेरे से रिश्वत राशि 3000 रुपये लेकर गिनकर अपने हाथ में रखे, जिस पर मैंने मुख्य सड़क से आपको ईशारा कर दिया, जिस पर परिवादी को साथ लेकर सामने ही सुथारो का तला स्कूल के पास पहुंचे, जहाँ एक व्यक्ति ट्रेक्टर के पास खड़ा मिला, जिसके हाथ में भारतीय मुद्रा होना पाई गई, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना एवं ट्रेप दल का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम कंवराराम पुत्र श्री लालाराम जाति जाट उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत दिनगढ़ पंचायत समिति धनाउ जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 8890841174 होना एवं ग्राम पंचायत दिनगढ़ में सामग्री आपूर्ति करने का कार्य करना बताया, जिस पर परिवादी श्री फुसाराम की तरफ ईशारा कर आरोपी श्री कंवराराम को उनको पहचाने बाबत पूछने पर बताया कि मैं इसको जानता हूँ यह दिनगढ़ का ही निवासी है एवं इसकी भाभी के टांके में श्री पूनमाराम एल०डी०सी० से मस्टरोल में नाम व हाजरी पूरी चढ़वाने के लिए मेरे पास आया था, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी को परिवादी श्री फुसाराम से किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बंध में पूछने पर श्री कंवराराम ने बताया कि मैंने श्री फुसाराम से जो राशि ली है वह राशि श्री पूनमाराम के कहने पर ही ली है, मेरा इसमें कोई लेना-देना नहीं है, उसने मुझे पहले कहा था कि फुसाराम आपसे मिलेंगा। मुझे पता नहीं है कि यह रुपये रिश्वत के हैं, जिस पर पास ही उपस्थित परिवादी ने आरोपी श्री कंवराराम के उक्त कथन का खण्डन करते हुए बताया कि साहब यह झूठ बोल रहा है, मैंने दिनांक 26. 12.21 को श्री पूनमाराम को कॉल कर मेरी भाभी के मस्टरोलो में नाम व हाजरी चढ़ाने की बात की तो उसने कहा कि 10,000 रुपये रिश्वत के देने होंगे, आप श्री कंवराराम से मिल लेना एवं उसको 10,000 रुपये दे देना, तो ही मैं आपका काम करूंगा एवं अब मेरे से मिलने की आवश्यकता नहीं है। परिवादी ने यह भी बताया कि श्री पूनमाराम मेरे से वाट्सअप कॉल से ही बात करता है, जिस पर आपके कार्यालय में शिकायत की एवं रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया तो श्री कंवराराम ने उस रोज मेरे से 2000 रुपये रिश्वत उसी दिन प्राप्त कर ली एवं शेष 3000 रुपये दिनांक 15 जनवरी 2022 को लाने का कहा एवं उसके बाद मेरी भाभी के टांके के अस्सी हजार का पेमेन्ट होने पर बाकी के 5000रुपये की जगह 1000 रुपये कम दे देने का कहा, जिस पर मैंने आज इनको उक्त रिश्वत में मांगी गई राशि 3000रुपये दिये, जिसे इन्होंने गिनकर अपने हाथ में रखे हैं, जिस पर पास ही उपस्थित आरोपी श्री कंवराराम से पूछने पर वह निरुत्तर हो गया एवं बोला कि साहब गलती हो गई, मैंने तो उक्त रिश्वत श्री पूनमाराम के कहने पर उसके लिए ही लिये हैं, मुझे माफ कर दो, मैं श्री पूनमाराम से बात करवा दूंगा, जिस पर आरोपी श्री कंवराराम द्वारा उक्त रिश्वती राशि श्री पूनमाराम के कहे अनुसार प्राप्त करने एवं उससे जरिये मोबाईल वार्ता करवाने का बताने पर आरोपी श्री कंवराराम एवं श्री पूनमाराम एल०डी०सी से जरिये मोबाईल वार्ता करवाने का निर्णय लिया गया। आरोपी श्री कंवराराम के पास पाई गई भारतीय मुद्रा को स्वतंत्र गवाह श्री नवीन प्रकाश मीणा से लिरवाई जाकर उक्त नोटों का मिलान फर्द पेशकशी से करवाने पर कुल तीन हजार रुपये के हुबहु नोट होना पाए गए, जिस पर उक्त रिश्वती राशि को श्री नवीन प्रकाश मीणा स्वतंत्र गवाह के पास ही सुरक्षित रखवाये गये।

तत्पश्चात रुबरु गवाहान आरोपी श्री कंवराराम के मोबाईल नम्बर 8890841174 से श्री पूनमाराम के मोबाईल नम्बर 9462159038 पर कॉल करवाया जाकर आरोपी श्री कंवराराम के मोबाईल फोन का स्पीकर ॲन कर उक्त वार्ता को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर ॲन कर उक्त वार्ता को रिकार्ड किया गया, जिसमें पहले कॉल लग कर कट गया एवं पुनः कॉल लगाने पर आरोपी श्री कंवराराम ने श्री पूनमाराम को कहा कि वह फुसाराम ने तीन हजार रुपये दे दिये हैं, आवाज नहीं आई थी, जिस पर श्री पूनमाराम ने कहा कि हॉ आवाज आ गई, सुन लिया, जिस पर आरोपी श्री कंवराराम ने कहा कि दे दिया है आप नाम लिख देना, जिस पर आरोपी श्री पूनमाराम ने कहा कि हॉ, हॉ, नाम लिख दूंगा। उक्त वार्ता को रुबरु गवाहान ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री कंवराराम को दस्तयाब कर सरकारी वाहन में बिठाकर श्री पूनमाराम एल०डी०सी० के सम्बंध में परिवादी से पूछने पर उसने बताया कि पूनमाराम ग्राम पंचायत भवन में हो सकता है, आरोपी श्री कंवराराम के दोनों हाथ कलाई के उपर से मन् निरीक्षक पुलिस एवं श्री मिश्रीमल कानिंदा द्वारा पृथक्-पृथक् पकड़े जाकर वाहन से मन् निरीक्षक पुलिस, दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री फुसाराम, ब्यूरो दल सदस्यों एवं दस्तयाब शुदा श्री कंवराराम को साथ लेकर उक्त स्थान से रवाना होकर ग्राम पंचायत दिनगढ़ के लिए रवाना हुए, श्री नवीन प्रकाश मीणा स्वतंत्र गवाह को दूसरे वाहन में बिठाया गया। तत्पश्चात श्री पूनमाराम की पतारसी करने पर वह उक्त स्थान पर नहीं मिला, जिस पर उसके आलमसर होने की सम्भावना को देखते हुए उक्त स्थान से आलमसर की तरफ वाहनों से रवाना होकर ग्राम आलमसर से कुछ पहले पहुंचे, जहाँ पर सामने ही सड़क पर एक मिनी स्कूल बस, एक बोलरो केम्पर एवं अन्य वाहनों से आम लोगों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया एवं वाहनों को जाने से रोक दिया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को अपना विभागीय परिचय पत्र दिखाकर एसीबी की गोपनीय कार्यवाही से अवगत करवाया, जिस पर एक व्यक्ति द्वारा पुनः विरोध किया एवं कहा कि आपने श्री कंवराराम का अपहरण कर लिया है, सरपंच का मेरे पास फोन आया है आपको जाने नहीं दूंगा, जिस पर उक्त व्यक्ति को पुनः समझाया गया। श्री पूनमाराम के सम्बंध में परिवादी द्वारा गोपनीय रूप से ज्ञात करने पर उसका मोबाईल स्वीच ऑफ होना एवं उक्त ट्रेप कार्यवाही की सूचना आमजन को होने से श्री पूनमाराम अपनी सकूनत से रुहपोष हो गया। उपस्थित आमजन को पुनः एसीबी की कार्यवाही होने के सम्बंध में अवगत करवाने पर ग्रामीणों द्वारा वाहनों का हटा लिया। चौंकि उक्त स्थान काफी भीड़-भाड़ वाला होने से ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना चौहटन पहुंच करने का निर्णय लिया जाकर मन् निरीक्षक पुलिस, दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री फुसाराम, दस्तयाब शुदा आरोपी श्री कंवराराम, डिजिटल टेप रिकार्डर, बरामदा रिश्वती राशि, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स एवं आवश्यक सामग्री के पुलिस थाना चौहटन के लिए रवाना हुआ। प्राईवेट व्यक्ति अपने वाहन से ब्यूरो के वाहनों का पीछा करने लगा। ताबाद मन् निरीक्षक पुलिस, दोनों स्वतंत्र गवाह, दस्तयाब शुदा श्री कंवराराम, ब्यूरो दल सदस्यों के सरकारी बोलरो वाहन, निजी कार व सरकारी मोटरसाईकल के पुलिस थाना चौहटन पहुंचे, जहाँ पर श्री भुट्टाराम निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन कार्यालय कक्ष में उपस्थित मिले, जिन्हें मन् निरीक्षक पुलिस ने स्वयं एवं ट्रेप दल का परिचय देकर ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना चौहटन में करने हेतु निवेदन किया, जिस पर उनके द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान के रुबरु आरोपी श्री कंवराराम पुत्र श्री लालाराम जाति जाट उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत दीनगढ़ पंचायत समिति धनाउ जिला बाडमेर (दलाल) को राजस्व ग्राम सुथारो का तला में स्कूल के पास परिवादी फुसाराम पुत्र श्री तगाराम जाति जाट निवासी ग्राम पंचायत दीनगढ़ तहसील धनाउ जिला बाडमेर से रिश्वती राशि प्राप्त करते हुए को दस्तयाबशुदा हमरा लेकर सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना चौहटन जिला बाडमेर में करने का निर्णय लिया जाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान व आरोपी के मौका से रवाना होकर वक्त 3.55 पी.एम.पर पुलिस थाना चौहटन पर पहुंचा। जहाँ पर थानाधिकारी श्री भुट्टाराम निरीक्षक पुलिस उपस्थित मिले। जिन्हे मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमराहियान का परिचय देकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना चौहटन में करने की मौखिक स्वीकृति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री कंवराराम दलाल से रिश्वती राशि बरामदगी पूर्व में मौका स्थल पर की जा चुकी है किन्तु हाथ धोवन कार्यवाही शेष होने से रुबरु गवाहान आरोपी श्री कंवराराम के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए कांच की दो साफ गिलास ट्रेप बॉक्स से निकालकर दोनों गिलासों में पुलिस थाना चौहटन से पीने का पानी मंगवाकर भरवाया गया तथा दोनों गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में श्री कंवराराम दलाल के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को ढूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गुलाबी रंग के धोवन को आधा-आधा दो कांच की साफ शिशियों में भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड

मोहर कर मार्क आरएच-1, आरएच-2 अंकित किया गया। इसी तरह दूसरी कॉच की गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री कंवराराम के बायें हाथ की अंगूलियों व अंगुठे को छूबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का झाँईनुमा गुलाबी हो गया, जिसे सभी उपस्थितान ने हल्का झाँईनुमा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त हल्का झाँईनुमा गुलाबी रंग के धोवन को भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरवाकर कागज के चम्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क एलएच-1, एलएच-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् कार्यवाही के निरन्तर में आरोपी श्री कंवराराम से बरामदा रिश्वती राशि 3,000/- रुपये जो सुरक्षा की दृष्टि से गवाह श्री नवीन प्रकाश मीणा के पास सुरक्षित रखवाये गये थे को पेश करने हेतु कहने पर श्री नवीन प्रकाश मीणा ने रिश्वती राशि 3,000/- रुपये जिसमें 2000 रुपये का एक नोट व 500-500 रुपये के 02 नोट पेश किये। उक्त रिश्वती राशि के नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी के नम्बरों से दूसरे गवाह श्री विजय कुमार को सुपुर्द कर फर्द पेशकशी से मिलान करवाया जाने पर फर्द में अंकित क्रम संख्या 01 से 03 तक के नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नोट का विवरण	नोट के नम्बर
1.	2000 रुपये का एक नोट नम्बर	9 FK 209912
2.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	5 SU 549215
3.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	4 GP 285852

ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री पूनमाराम के दलाल श्री कंवराराम द्वारा प्राप्त की गई रिश्वती राशि को कब्जा व्यूरो लिया जाकर एक सफेद कपड़े में कोने से सिलाई कर सील चिट कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की जामा तलाशी अलग से ली जाकर शामिल पत्रावली की जावेगी। आरोपी श्री कंवराराम पुत्र श्री लालाराम जाति जाट उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत दीनगढ़ पंचायत समिति धनाउ जिला बाडमेर (दलाल) द्वारा परिवादी श्री फुसाराम से आज प्राप्त की गई रिश्वती राशि के सम्बन्ध में पुनः पूछने पर आरोपी ने पूर्व के कथनों की तार्हि द करते हुए बताया कि मैंने श्री पूनमाराम कनिष्ठ सहायक जो दीनगढ़ पंचायत में लगा हुआ के कहने पर उसके लिए प्राप्त किये हैं। ट्रेप कार्यवाही में अब तक की कार्यवाही एवं आरोपी श्री कंवराराम दलाल से पूछताछ व हाथ धोवन से परिवादी की भाभी श्रीमती अन्नु पत्नी स्वं श्री अणदाराम के नाम से ग्राम पंचायत दीनगढ़ में नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत टांके के मस्टरोलो मे नाम व हाजरी चढ़ाने की एवज मे आरोपी श्री पूनमाराम कनिष्ठ सहायक के लिए परिवादी से 10,000 रुपये रिश्वती राशि की मांग कर दिनांक 12.01.2022 को मौके पर 2000 रुपये रिश्वती राशि प्राप्त करना एवं दौराने ट्रेप कार्यवाही 3000 रुपये रिश्वती राशि आज प्राप्त कर गिनकर अपने पास रखना, आरोपी के हाथों के धोवन का रंग गुलाबी आना जुर्म अन्तर्गत धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादंसं का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी को जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना गिरफ्तार किया जावेगा। चुंकि आरोपी श्री पूनमाराम कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत दीनगढ़ ने आरोपी श्री कंवराराम दलाल से वक्त लेन-देन जरिये मोबाईल रिश्वती राशि प्राप्त करने एवं मस्टरोल मे नाम चढ़ाने की सहमति जाहिर की है अतः आरोपी श्री पूनमाराम के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादंसं का अपराध प्रमाणित है। आरोपी पूनमाराम की तलाश उसके कार्यस्थल, सकूनत एवं मोबाईल लोकेशन पर की गई। आरोपी श्री कंवराराम दलाल की दस्तयाबी की भनक लगने से आरोपी श्री पूनमाराम अपना मोबाईल स्वीच ऑफ कर अपने कार्यस्थल ग्राम पंचायत दीनगढ़, सकूनत से रुहपो । हो गया है। जिसकी तलाश पतारसी हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन एवं विकास अधिकारी प.स. धनाउ को आरोपी की सूचना देने बाबत पत्राचार किया गया। परिवादी की भाभी श्रीमती अन्नु के मस्टरोल से सम्बन्धित दस्तावेजात ग्राम पंचायत दीनगढ़ मे होने एवं श्री पूनमाराम कनिष्ठ सहायक के अपनी सकूनत से रुहपोश होने के कारण बरामद नहीं हो सके फिर भी विकास अधिकारी धनाउ एवं ग्राम विकास अधिकारी दीनगढ़ से सम्पर्क कर रिकार्ड शीघ्र व्यूरो को उपलब्ध करवाने हेतु पाबन्द किया गया। ट्रेप कार्यवाही मे बरामद हुई रिश्वती राशि 3,000/- रुपये, आरोपी श्री कंवराराम के दोनों हाथों के धोवनों की शीशीयां को सील मोहर किया गया है, जिसकी फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर समस्त हाजरीन को पढ़कर सुनाई गई सुन, समझ सही होना मान संबंधितगण ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् ट्रेप कार्यवाही में दिनांक 15.01.2022 को आरोपी श्री कंवराराम के मोबाईल नम्बर 8890841174 से श्री पूनमाराम एल०डी०सी० के मोबाईल नम्बर 9462159038 पर कॉल करवाकर आरोपी श्री कंवराराम दलाल के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर उक्त वार्ता को व्यूरो के डिजिटल ट्रेप रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी। उक्त वार्ता को रुबरु मौतविरान एवं परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडीयॉ श्री बांकाराम कानि० से तैयार करवाई जाकर एक सी०डी० को मूल मानते हुये कपड़ो की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। दोनो आरोपीगण की आवाज की पहचान उपस्थित परिवादी श्री फुसाराम द्वारा की गई। मुर्तिब सुदा

सीड़ीयॉ सुरक्षित जमा ट्रेप बाक्स की गई एवं ट्रेप कार्यवाही में दिनांक 15.01.2022 को परिवादी श्री फुसाराम एवं आरोपी श्री कंवराराम दलाल के मध्य हुई रिश्वती राशि लेन-देन रुबरु वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रुबरु मौतबिरान एवं परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीड़ीयॉ मूर्तिब करने हेतु उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को विभागीय लेपटॉप से कनेक्ट करने पर उक्त वार्ता लेपटॉप में प्रदर्शित नहीं हुई एवं लेपटॉप से उक्त डिजिटल टेप रिकार्ड को बाहर निकाल कर उक्त वार्ता का अवलोकन करने पर उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर में भी प्रदर्शित नहीं हुई, जिससे उक्त वार्ता की सीड़ीयॉ मूर्तिब नहीं की जा सकी, किन्तु उक्त वार्ता की डिजिटल टेप रिकार्डर से फर्द पूर्व में ही रुबरु गवाहान व परिवादी के मूर्तिब कर हस्ताक्षर करवाये जा चुके थे। इस सम्बंध में मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को जरिये मोबाईल उक्त हालात निवेदन करने पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत करवाया गया कि आप एक बार उसी डिजिटल टेप रिकार्डर में डमी वार्ता कर उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर प्रयास करे कि क्या सीड़ी मूर्तिब हो रही है, जिस पर श्रीमान् के निर्देशानुसार उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर में डमी वार्ता कर लेपटॉप से कनेक्ट करने पर पूर्व की भाँति की स्थिति उत्पन्न हुई एवं फाईल करेप्ट होना पाई गई, जिस पर उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वयं के कब्जे में लिया गया एवं उक्त वार्ता कम्यूटर वायरस के कारण प्रदर्शित नहीं होने पर आईन्दा विशेषज्ञ को तलब कर उक्त वार्ता को रिकवर कर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाह को तलब कर सीड़ीया मूर्तिब करने का निर्णय लिया गया। ताबाद घटनास्थल का नक्शा मौका मूर्तिब करना आवश्यक होने से मन् निरीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री फुसाराम, ब्यूरो दल सदस्य श्री सुराबखां कानिं, श्री बांकाराम कानिं एवं श्री महिपालसिंह कानिं चालक मय सरकारी वाहन के घटनास्थल को रवाना हुआ। दस्तयाब सुदा आरोपी श्री कंवराराम की निगरानी हेतु शेष ब्यूरो दल को मामूर किया जाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मूर्तिब करने हेतु सुथारो का तला स्थित मौका स्थिल पर पहुच फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मूर्तिब कर सम्बधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की जाकर पुनः पुलिस थाना चौहटन के लिए रवाना होकर पुलिस थाना चौहटन पहुचा। आरोपी श्री कंवराराम ब्यूरो जाब्ता की निगरानी में उपस्थित मिला। प्रकरण हाजा में अब तक की कार्यवाही से आरोपी कंवराराम पुत्र श्री लालाराम जाति जाट उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत दिनगढ़ पंचायत समिति धनाउ जिला बाड़मेर के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा०द०सं० का कारित किया जाने से उसके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर उसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 41 सी०आर०पी०सी० के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहेनुसार उनके रिस्तेदार बड़े पिताजी के लड़के श्री बालाराम को उसके मोबाईल नम्बर 8094084180 पर दी गई। ट्रेप कार्यवाही में रात्रि का समय होने एवं ट्रेप दल एवं आरोपी को भोजन करवाया जाना होने से मन् निरीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो दल सदस्यो एवं गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री कंवराराम को भोजन करवाया गया।


प्रकरण हाजा में मौके पर कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से परिवादी श्री फुसाराम को रुखस्त दी जाकर मन् निरीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान, गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री कंवराराम के ट्रेप कार्यवाही में रिश्वती राशि मांग सत्यापान वार्तालाप, रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप एवं आरोपी श्री कंवराराम दलाल के मोबाईल से आरोपी श्री पूनमाराम एलडीसी के मोबाईल पर करवाई वार्तालाप की एक-एक मूल सी०डी० शील्ड शुदा एवं एक-एक डब सी०डी० खुली एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त रिश्वती राशि 3000रु० शील्ड चिट्युक्त, धोवन की शीशियां मार्क आर०एच०-१, आर०एच०-२, एलएच-०१, एलएच-०२, इत्यादि मालखाना आइटम्स एवं डिजिटल टेप रिकार्डर के सरकारी बोलेरो वाहन मय चालक श्री महिपालसिंह कानि एवं निजी कार व सरकारी मोटरसाईकल के पुलिस थाना चौहटन से ब्यूरो चौकी बाड़मेर पहुंच आरोपी को बाद स्वास्थ्य परीक्षण आरोपी श्री कंवराराम को पुलिस थाना कोतवाली में सुरक्षित जमा करवाया गया।

इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से परिवादी श्री फुसाराम द्वारा दिनांक 12.01.2022 को भ्र. नि.ब्यूरो बाड़मेर मे रिपोर्ट पेश करना जिसमे अपनी भाभी श्रीमती अन्नु के नाम से ग्राम पंचायत दिनगढ़ में नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत टांका के मस्टरोलो मे नाम व हाजरी चढ़ाने की एवज मे कनिष्ठ सहायक श्री पूनमाराम द्वारा दलाल श्री कंवराराम के मार्फत 10,000 रुपये रिश्वत की मांग करना तथा परिवादी को श्री कंवराराम से मिलकर बात करने कहना, जिस पर दिनांक 12.01.2022 को गोपनीय मांग सत्यापन करवाने पर सत्यापन के दौरान आरोपी श्री कंवराराम (दलाल) द्वारा श्री पूनमाराम कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत दीनगढ़ के लिए आरोपी श्री पूनमाराम के कहेनुसार कुल 10,000 रुपये की मांग कर 2000 रुपये उसी समय ले लेना व 3000 रुपये एक-दो दिन मे देने का कहना एवं शेष 5000 रुपये टांका का आधा पेमेन्ट

हो जाने पर देने का कहना, जिस पर दिनांक 15.01.2022 को ट्रैप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी श्री कंवराराम को परिवादी श्री फूसाराम से 3000 रिश्वत राशि लेते हुए रुबरु गवाहान रंगे हाथों गिरफतार कर आरोपी श्री कंवराराम की आरोपी श्री पूनमाराम से जरिये मोबाईल वार्ता करवाने पर आरोपी श्री पूनमाराम द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने एवं मस्टोल मे नाम चढाने की सहमति देना, आरोपी श्री कंवराराम के पकड़े जाने की भनक लग जाने से आरोपी श्री पूनमाराम कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत दिनगढ़ मौके से फरार हो जाना इत्यादि कृत्य से आरोपी श्री पूनमाराम पुत्र श्री आईदानराम जाति जाट निवासी डेलुओ का तला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत दिनगढ़ तहसील धनाउ जिला बाड़मेर एवं श्री कंवराराम पुत्र श्री लालाराम जाति जाट उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम दिनगढ़, पंचायत समिति धनाउ, जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 8890841174 (प्राईवेट व्यक्ति) के विरुद्ध जुम्ह अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120वी भा०दं०सं० का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे।

भवदीय,



(मुकनदान)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बाड़मेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मुकनदान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1.श्री पूनमाराम, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत दिनगढ, पंचायत समिति धनाड जिला बाड़मेर एवं 2.श्री कंवराराम पुत्र श्री लालाराम निवासी ग्राम दिनगढ, पंचायत समिति धनाड जिला बाड़मेर(प्राईवेट व्यक्ति) के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 12/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 103-07 दिनांक 16.1.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् बाड़मेर।
4. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।